भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4619** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्गों का पुनरुद्धार

†4619. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री राजेश वर्मा :
श्रीमती शांभवी :
श्री नरेश गणपत म्हस्के :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से अंतर्देशीय जलमार्गों के पुनरुद्धार के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, और यदि हां, तो इस पहल के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान प्रशासन के तहत राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 हो गई है और यदि हां, तो इस विस्तार कार्य ने कार्गो के आवागमन और यात्री संपर्क को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो के आवागमन के लिए विशेष रूप से 2030 तक 200 मिलियन मीट्रिक टन और वर्ष 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन के विशिष्ट लक्ष्यों सहित लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) क्या अवसंरचना परियोजनाओं से महाराष्ट्र सहित देश में व्यापार और संपर्क बढ़ने की उम्मीद है और यदि हां, तो इन परियोजनाओं के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अंतर्देशीय जलमार्गों के पुनरुद्धार से भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन और सतत परिवहन में योगदान मिलने की उम्मीद है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी, हां। सरकार द्वारा 2014-15 से 2023-24 तक देश में राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के विकास के लिए 6434 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया गया है। वित्तपोषित परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख): जी, हां। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के विकास के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए थे। राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही 2013-14 के 18 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 2023-24 में 133 एमटीपीए हो गई है और 2023-24 में यात्री आवाजाही 1.61 करोड़ तक हो गई है।

(ग): जी, हां। नीतिगत उपायों के संदर्भ में, 2030 तक 200 मिलियन मीट्रिक टन और 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनीतियों का विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(घ): जी, हां। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना विकास परियोजनाओं का उद्देश्य व्यापार और संपर्कता बढ़ाना है। विकसित की गई अवसंरचना सुविधाओं का विवरण **अनुबंध-3** में दिया गया है।

(ङ): जी, हां। अंतर्देशीय जल परिवहन, किफायती, सुरक्षित है और यह परिवहन का पर्यावरण अनुकूल साधन है। अंतर्देशीय जलमार्गों के पुनरुद्धार से रिवर क्रूज़/हाउस बोट और संधारणीय परिवहन के माध्यम से इको-टूरिज्म में योगदान मिलने की उम्मीद है।

अनुबंध-1

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**
क	**चालू स्वीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाएं -**
1	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रा.ज.-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) पर वाराणसी-हल्दिया खंड से जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी-I और II)
2	राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (बांग्लादेश सीमा - धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी) का व्यापक विकास
3	असम में राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (लखीपुर से तुकर ग्राम तक बराक नदी) और भारत-बांग्लादेश मार्ग के भारतीय हिस्से का व्यापक विकास
ख.	**3 वर्षों से स्वीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाएं**
4	पांडु पोर्ट टर्मिनल से रा.ज.-2 पर रा.रा. 27 तक पहुंच मार्ग का विकास
5	रा.ज.-2 पर पांडु, गुवाहाटी (असम) में पोत मरम्मत सुविधा का विकास
6	23 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास (चरण 1) (** 3 मौजूदा और 13 नए राष्ट्रीय जलमार्ग) - केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और असम राज्यों में 20 राष्ट्रीय जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्ग-3, 4, 5 और 17 नए राष्ट्रीय जलमार्ग) का विकास
(i)	रा.ज.-3-पश्चिमी तट नहर (कोट्टापुरम -कोल्लम), केरल में चंपकारा और उद्योगमंडल नहरें
(ii)	आंध्र प्रदेश में रा.ज.-4 कृष्णा नदी (विजयवाडा-मुक्तयाला) का हिस्सा
(iii)	रा.ज.-5- धामरा -पारादीप, मंगलागदी से होते हुए ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के पंकोपाल तक
(iv)	रा.ज.-8- केरल में अलाप्पुझा -चंगनास्सेरी नहर
(v)	रा.ज.-9- केरल में अलाप्पुझा -अथिरामपुजा नहर
(vi)	रा.ज.-27-गोवा में कंबरजुआ नदी
(vii)	रा.ज.-68- गोवा में मंडोवी नदी
(viii)	रा.ज.-111- गोवा में जुआरी नदी
(ix)	रा.ज.-86- पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी
(x)	रा.ज.-97- पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जलमार्ग

(xi)	रा.ज.-40- उत्तर प्रदेश और बिहार में घाघरा नदी
(xii)	रा.ज.-44- पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी
(xiii)	रा.ज.-10- महाराष्ट्र में अम्बा नदी
(xiv)	रा.ज.-28-दाभोल क्रीक महाराष्ट्र में वशिष्ठी नदी
(xv)	रा.ज.-57- असम में कोपिली नदी
(xvi)	रा.ज.-31- असम में धनसिरी नदी
(xvii)	रा.ज.73 - गुजरात में नर्मदा नदी में पोंटून
(xviii)	रा.ज.-73 (नर्मदा) और रा.ज.-100 (तापी) - गुजरात रा.ज. में ईआईए/ईएमपी अध्ययन
(xix)	रा.ज.-110 (यमुना)- मथुरा में पांटून
(xx)	रा.ज.-37 (गंडक)- बिहार में बत्तिया में पोंटून

अनुबंध-2

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

नीतिगत उपाय:

• कार्गो मालिकों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% प्रोत्साहन प्रदान करने और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से रा.ज.-1 और रा.ज.-2 और रा.ज.-16 पर कार्गो आवाजाही के लिए अनुसूचित सेवा स्थापित करने की योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना से 800 मिलियन टन किमी कार्गो आईडब्ल्यूटी मोड पर आने की उम्मीद है, जो कि रा.ज. पर वर्तमान 4700 मिलियन टन किमी कार्गो का लगभग 17% है। यह योजना तीन वर्षों के लिए 100 करोड़ से कम की लागत पर है और इस योजना की सफलता के आधार पर इसे बढ़ाया या संशोधित किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य प्रदर्शन प्रभाव के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई जलयानों का उपयोग करके कोलकाता और वाराणसी/पांडु के बीच निर्धारित जलमार्ग कार्गो सेवा शुरू करने और जलमार्गों से आवाजाही में कार्गो मूवर्स/मालिकों का विश्वास बढ़ाना है।

• 01.02.2025 को पेश किए गए बजट के दौरान भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए टन भार कर योजना का विस्तार करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय जलमार्गों, नदियों और नहरों पर चलने वाले अंतर्देशीय जलयानों को इसका लाभ मिलेगा। इस कदम से उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ावा मिलने और अधिक कार्गो मालिकों के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है। टनभार कर प्रणाली, शिपिंग कंपनियों के लिए एक विशेष कराधान नीति है, जिसमें कर वास्तविक लाभ पर आधारित नहीं होता बल्कि जलयान के आकार (टनभार) पर आधारित होता है। यह जलयान मालिकों के लिए स्थिर, पूर्वानुमानित और कम कराधान प्रदान करता है, जिससे उन पर वित्तीय बोझ कम होता है।

• राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम 2025 को अधिसूचित किया गया है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने हेतु एक स्पष्ट नियामक ढांचे की व्यवस्था होने निजी कंपनियां अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना में निवेश कर सकते हैं और इनका प्रचालन कर सकते है।

• पत्तनों के साथ एकीकरण: दुनिया भर में, जलमार्गों का सबसे बेहतर उपयोग तब होता है जब उन्हें पत्तनों से जोड़ा जाता है। कोलकाता पत्तन रा.ज.1 के साथ निर्बाध एकीकरण का अवसर प्रदान करता है और मल्टी-मोडैलिटी की समस्या को हल करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए, वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया में यह मल्टी मॉडल टर्मिनल और कालुघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल के साथ-साथ रा.ज.-1 पर अन्य टर्मिनलों को प्रचालन और प्रबंधन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता में स्थानांतरित किया जा रहा है।

• डिजिटलीकरण: आईडब्ल्यूटी क्षेत्र में कारोबार करना आसान बनाने के लिए 'वाहन' और 'सारथी' की तर्ज पर पूरे देश में जलयानों और चालक दल के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय डाटाबेस और पोर्टल विकसित

किया जा रहा है। इससे जलयानों और चालक दल का डिजिटल तरीके से पंजीकरण हो सकेगा और इससे देश में जलयानों और चालक दल की संख्या के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी और इस तरह योजना बनाने में मदद मिलेगी।

• कार्गो एकत्रीकरण: जलमार्गों के किनारे उद्योगों की कमी होने के कारण जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही मल्टीमॉडलिटी की समस्याओं से ग्रस्त है। इसलिए, कार्गो एकत्रीकरण केंद्र - वाराणसी में फ्रेट विलेज और साहिबगंज में एकीकृत क्लस्टर-सह-लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन एमएमएलपी के विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनएचएलएमएल को नियुक्त किया गया है। तीन एमएमटी के लिए रेल संपर्कता का काम मेसर्स इंडियन पोर्ट एंड रेल कंपनी लिमिटेड (एमओपीएसडब्ल्यू के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम) को सौंपा गया है।

• आईबीपी मार्ग: हाल ही में आवाजाही के माइया और सुल्तानगंज के बीच इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 5 और 6 को सफल परीक्षण के साथ चालू किया गया है। बांग्लादेश की ओर से सहमति मिलने पर जल्द ही नियमित आवागमन शुरू हो जाएगा।

• पीएसयू द्वारा कार्गो को शिफ्ट करना: कार्गो के जलमार्गों पर मॉडल शिफ्ट के लिए, अंतर्देशीय जल परिवहन मोड का उपयोग करके अपने आवागमन की योजना बनाने के लिए 140 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संपर्क किया गया है। उनसे जलमार्गों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही की अपनी वर्तमान स्थिति और कार्गो के मॉडल शिफ्ट के लिए अपनी योजना को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। पीएनजी, सहकारिता/उर्वरक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारी उद्योग, इस्पात और कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पीएसयू को सलाह दें कि वे यथासंभव अधिकाधिक आईडब्ल्यूटी मोड का उपयोग करें और एमआईवी लक्ष्यों के अनुरूप हुए आईडब्ल्यूटी मोड के लिए अपने कार्गो का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करें।

अनुबंध-3

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अवसंरचना संबंधी उपाय:

(i) जलयानों के प्रचालन के लिए 35/45 मीटर चौड़ाई और न्यूनतम उपलब्ध 2.0/2.2/2.5/3.0 मीटर गहराई (एलएडी) का नौवहन चैनल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) में फेयरवे रखरखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रखरखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण) किए जाते हैं।

(ii) 5 पूर्व-मौजूदा स्थायी टर्मिनलों के अतिरिक्त, रा.ज.-1 (गंगा नदी) पर 49 सामुदायिक जेट्टी, 20 फ्लोटिंग टर्मिनल, 3 मल्टी-मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) और 1 इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी) का निर्माण किया गया है।

(iii) पांडु, जोगीघोपा में एमएमटी और बोगीबील और धुबरी में टर्मिनलों के साथ-साथ रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) पर उपलब्ध कराए गए 12 फ्लोटिंग टर्मिनलों का भी नदी कार्गो/क्रूज़ जलयानों की बर्थिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 7.09 करोड़ रुपए के निवेश से जोगीघोपा, पांडु, बिश्वनाथ घाट और नेमाटी में चार समर्पित जेट्टी प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, असम में सदिया, लाइका और ओरियम घाट पर क्रूज और यात्रियों के लिए जेट्टी का निर्माण किया गया है।

(iv) रा.ज.-3 (केरल में पश्चिमी तट नहर) पर गोदामों के साथ 9 स्थायी अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनलों और 2 रो-रो/रो-पैक्स टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(v) गोवा सरकार को 2020 में 3 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टी और सितंबर 2022 के दौरान 1 जेट्टी प्रदान की गई और ये मंडोवी नदी (रा.ज.-68) में स्थापित की गई है। आंध्र प्रदेश में रा.ज.-4 (कृष्णा नदी) के हिस्से पर 4 पर्यटक जेट्टी चालू की गई हैं और उत्तर प्रदेश में मथुरा-वृंदावन खंड में रा.ज.-110 (यमुना नदी) पर 12 फ्लोटिंग जेट्टी, बिहार में रा.ज.-73 (नर्मदा नदी) पर 2 जेट्टी और रा.ज.-37 (गंडक नदी) पर 2 जेट्टी का निर्माण कार्य चल रहा है।

****